JOURNAL OF LEGAL STUDIES, POLITICS AND ECONOMICS RESEARCH

An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal

www.JLPER.com

Published by iSaRa Solutions

राष्ट्र निर्माण में नारी की भूमिका

डॉ.प्रवीण कुमार
एक्सटेंशन लैक्चैरर, राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय, तावडू (नूँह)
प्रीति,
पीएच.डी. शोधार्थी, मत्स्य यूनिवर्सिटी (अलवर) राजस्थान

किसी भी राष्ट्र के निर्माण में नारी का योगदान सबसे अधिक होता है यदि नारी के विकास को राष्ट्र निर्माण में केन्द्र बिन्दु न रखा जाए तो वह राष्ट्र अधिक विकसित नहीं हो पाऐगा इसीलिए कहा जाता है कि–

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता

यतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रिया।

किसी भी राष्ट्र के विकास में जितनी भागीदारी पुरुषों की होती है उतनी ही भागीदारी महिलाआं की भी होती है। विकसित देशों में महिलाओं की साक्षरता, स्वास्थ्य तथा उनके अधिकार उन्हें प्राप्त होते है जबकि विकासशील देशों में कही न कही महिलाओं के सर्वागीण विकास को नजर अंदाज किया जाता है। जबकि किसी भी नवजात शिशु की पहली गुरु उसकी माता होती है क्योंकि यदि महिला के विचार दूषित हुए तो उसकी संतान भी उन विचारों को धारण करती है इसलिए यह कहा जा सकता है कि राष्ट्र निर्माण की इकाई एक विकसित महिला है।

भारतीय महिलाओं का इतिहास में भी बहुत योगदान रहा है सिर्फ स्वाधीनता संग्राम के समय देखा जाए तो भारतीय महिलाओं का योगदान अग्रणीय रहा है। स्वाधीनता संग्राम के दौरान महारानी लक्ष्मी बाई, विजयलक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली, सरोजनी नायडू, कमला नेहरू, सुचेता कृपलानी, मणिबेन पटेल, अमृत कौर जैसी महिलाओं ने अपना अमूल्य योगदान दिया। आजादी के बाद महिलाओं ने सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में अपनी स्थिति को लगातार बेहतर किया है जैसे श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित विश्व की ऐसी पहली महिला थी जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनाया गया।

सरोजनी नायडू आजाद भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी वही दूसरी और सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री, इंदिरा गाँधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में भारत की स्वतन्त्रता को और मजबूत किया।

वर्तमान में किरण बेदी, मीरा कुमार, बछेंद्री पाल, संतोष यादव, सानिया मिर्जा, सायना नेहवाल, पी.टी उषा, दीपा दास, मितालीराम जैसी महिलाओं ने हर क्षेत्र में भारत का मस्तक ऊँचा किया। भारतीय महिलाओं ने भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना झंडा बुलन्द

किया है इसका सबसे अच्छा उदाहरण कल्पना चावला, रितु करिधाल, चंद्रिका सहा, मुथ्य्या वनिधा गगनदीप कंग इत्यादि रहे है।

किसी भी राष्ट्र का स्वांगीण विकास तब माना जाऐगा जब वह आर्थिक, भौतिक व सुरक्षा में परी तरह से विकास कर ले भारत के आर्थिक विकास में महिलाओं का योगदान काफी रहा है वर्तमान समय में शिक्षा के प्रसार ने महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार आया है। वर्तमान में चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, सुरक्षा का, इंजीनियरिग या सिविल सेवा, पुलिस या विज्ञान का क्षेत्र हो सभी क्षेत्रों में महिलाएँ सम्मानित पदों पर आसीन है। घर से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक महिलाओं की कृति पताका लहरा रही है।

भारत सरकार ने देश में महिलाओं की स्थिति सुधारने का लक्ष्य हासिल करने के लिए वर्ष 2001 में महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय नीति जारी की। इस नीति को केन्द्र सरकार ने 21 मार्च 2001 को मंजूरी प्रदान की। इसके कुछ महत्त्वपूर्ण बिन्दु इस प्रकार से है–

1. महिलाओं को देश के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन में बराबर की भागीदार बनाना।
2. मानव अधिकारों का उपयोग करना तथा पुरुषों की बराबर भागीदारी सुनिश्चित करना।
3. महिलाओं के प्रति किसी की तरह के भेदभाव को दूर करने के लिए कानूनी प्रणाली एवं सामुदायिक प्रक्रिया विकसित करना।
4. महिलाओं के लिए ऐसा वातावरण तैयार करना कि वो महसूस कर सके कि आर्थिक व सामाजिक नीतियाँ बनाने में वो शामिल है।
5. महिलाओं की स्वास्थ्य शिक्षा, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा में सहभागिता सुनिश्चित करना।
6. महिला और बाल अपराध के किसी भी रूप में व्याप्त असमानता को दूर करना।

भारतीय संविधान द्वारा कानूनी के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा और सामान्य जीवन में उनकी समान भागीदारी के लिए विशेष प्रावधान किए गए है। 73 वे संवैधानि संसोधन के बाद देश के कई राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। जिससे आज महिलाएँ ऊर्जावान नेतृत्व से अपने स्थानीय परिवेश में परिवर्तन ला रही है। नारीवादी आन्दोलनों और सरकारी प्रयासों में महिलाओं के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आजादी की पैरवी की जाती है यह संपूर्ण सशक्तिकरण की अवधारणा के लिए भी उचित है। प्रमुख नारी आन्दोलनों ने अब तक नारी के जीवन में, अधिकार, महिला शिक्षा, राजनीति में भूमिका, आर्थिक और सामाजिक स्वतन्त्रता जैसे विभिन्न मुद्दों पर जनमानस की सोच को बदलने का काम किया है।

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने में सकारात्मक कार्यवाही से महिलाओं के प्रतिनिधित्व में तेजी से वृद्धि हुई है। जब तक महिलाओं

को सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाऐगा तब तक महिलाओं के सशक्तिकरण की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

भारतीय समाज एक ऐसा समाज है जिसमें कई तरह के रिवाज परम्पराएँ और मान्यताएँ है इसमें से कुछ ऐसी प्राचीन परम्पराएँ है जो महिला विकास ने बाँधा है जैसे–

- भारत के कई क्षेत्रों में महिलाओं के घर छोड़ने पर पाबंदी होती है इस तरह के क्षेत्रों में महिलाओं को घर से बाहर जाने पर पाबंदी लगी होती है।
- इन रूढ़ीवादी विचारधाराओं के कारण महिलाएँ स्वयं को पुरुषों से कम समझने लगती है।
- कार्य क्षेत्र में होने वाला शोषण भी महिला सशक्तिकरण के मार्ग को एक बड़ी बाँधा है।
- समाज में पुरुष प्रधानता के कारण भी महिलाओं के लिए समस्याएँ उत्पन्न हो जाती है।
- भारत में वर्तमान में भी कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव किया जाता है।
- महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है।
- महिलाओं में अशिक्षा और बीच में ही पढ़ाई छोड़ने जैसी समस्याएँ महिला सशक्तिकरण के मार्ग में बाँधा उत्पन्न करती है।
- भारतीय समाज में घरेलू हिंसा के साथ–साथ दहेज ऑनर किलिंग और तस्करी जैसे गंभीर अपराध भी देखने को मिलते है।
- कन्या भ्रूण हत्या या लिंग के आधार पर गर्भपात, भारत में महिला सशक्तिकरण के मार्ग में सबसे बड़ी बाँधा है।
- भारत में पुरुषों में मुकाबले महिला शिक्षा दर कम है।

भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएँ चलाई गई है जिससे की महिला समाज के अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। इन योजनाओं का गठन भारतीय महिलाओं की परिस्थिति को ध्यान में रखकर किया गया है ताकि समाज में उनकी भागीदारी को और अधिक बढ़ाया जा सके इनमें से कुछ योजनाएँ जैसे मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, जननी सुरक्षा योजना आदि है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएँ इस आशा के साथ चलाई जा रही है कि कभी न कभी भारतीय समाज में महिलाओं को पुरुषों की तरह ही प्रत्येक अवसर का लाभ प्राप्त होगा। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ चलाई गई है जो इस प्रकार है–

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं योजना
- वन स्टॉप सेंटर योजना

- महिला हेल्पलाईन योजना

उज्जवलाः अवैध व्यापार की रोकथाम और अवैध व्यापार और वाणिज्यिक मौन शोषण से पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए एक व्यापक योजना नारी शक्ति पुरस्कार– स्त्री शक्ति पुरस्कार, 2014

महिला सशक्तिकरण में लिए महिलाओं को विभिन्न प्रकार के अधिकार भी प्रदान किए गए है।

- समान वेतन का अधिकार
- कार्य स्थल पर उत्पीड़न के खिलाफ कानून
- कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार
- सम्पत्ति का अधिकार
- गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार

बदलते समय के साथ आधुनिक युग में नारी पढ़ लिख कर स्वतन्त्र है वह अपने अधिकारों के प्रति सजग है तथा अपने निर्णय स्वयं होती है। अब नारी घर की चार दिवारी से बाहर निकल कर देश के लिए विशेष महत्त्वपूर्ण कार्य करती है। आज महिलाएँ देश की आबादी का आधा हिस्सा है इसी वजय से राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ जाती है। भारत में ऐसी महिलाओं की कमी नहीं है जिन्होंने समाज में बदलाव और महिला सम्मान के लिए कार्य किया आज की महिला पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बड़े से बड़े कार्य क्षेत्रों में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे रही है चाहो काम कोई भी हो महिलाएँ हर क्षेत्र में अपनी योग्यता साबित कर रही है।

महिला सशक्तिकरण के बिना देश व समाज में नारी की बड़ी स्थान मिल सकता है। जिसकी वो हमेशा से हकदार रही है बन्धनों से मुक्त होकर वो अपने निर्णय स्वयं लेती है। महिला सशक्तिकरण के कारण महिलाओं में जीवन में बहुत से बदलाव हमें देखने को मिलते है जैसे –

- महिलाओं ने हर कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया है।
- महिलाएँ अपने जीवन से सम्बन्धित सभी फसले स्वयं कर रही है।
- महिलाएँ अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है और आत्म निर्भर भी बनती जा रही हैं।
- पुरुषों की सोच में भी अब काफी बदलाव देखने को मिला है और पुरुष महिलाओं को भी उनके अधिकार दे रहे है।

आज देश में जरूरत है कि हम बच्चियों को वही आत्मविश्वास और हिम्मत दे जो लड़की को देते है प्रकृति का संतुलन बना रहे इसके लिए जरूरी है कि लड़कियों को भी बराबर का सम्मान मिले। एक नारी के बिना किसी भी व्यक्ति का जीवन सृजित नहीं हो सकता। महिलाएँ हर जिम्मेदारी और चुनौतियों को बेहतर तरीके से निभाती है। भारतीय

संविधान ने भी महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया है। इसी बराबरी के अधिकार ने लोकतन्त्र को और अधिक मजबूत किया है।

आज जरूरत है समाज में महिलाओं को अज्ञानता, अशिक्षा, संकुचित विचारों और रूढ़िवादी भावनाओं के गर्त से निकलकर प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए उसे आधुनिक घटनाओं, एतिहासिक गरीमापूर्ण जानकारी और क्रियाकलापों से अवगत कराने के लिए उनमें आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक व राजनीतिक चेतना पैदा करने की जिससे की नारी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज को आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकें। उसके साथ–साथ आज जरूरत है कि समाज की जितनी भी रूढ़िवादी समस्याएँ है, हमें उनका समाधान खोजते हुए हठधर्मिता त्यागकर शैक्षिक, सामाजिक, सौहार्द्रपूर्ण, व्यवसायिक और राजनीतिक चेतना का मार्ग प्रशस्त करते हुए महिलाओं के सामाजिक उत्थान का संकल्प लेना चाहिए। सही अर्थ में महिला दिवस तब सार्थक होगा जब वास्तव में महिलाओं का उनका सम्मान मिलेगा जिनकी वो वास्तव में हकदार है तभी सही मायने में राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी जब महिलाएँ अपनी वास्तविक शक्ति का अहसास समाज को करवाएगी और उन्नत राष्ट्र की कल्पना तभी यथार्थ होगी जब महिला सशक्त होकर राष्ट्र को भी सशक्त करे। इसके लिए महिलाओं को और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ :–

1. प्रवक्ता काम
2. किरण साओ, राष्ट्र निर्माण में नारी का योगदान, 2 अप्रैल, 2021
3. विरेन्द्र सोलंकी, राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका
4. वेब दुनिया, भारत के उत्थान में बेटियों का योगदान
5. लीलामा देवाशिया, गर्ल चाईल्ड इन इंडिया, आशिष पब्लिसिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1991
6. राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की अहम भूमिका हिन्दूस्तान, 7 मार्च 2019
7. वेब दुनिया, जीवंत और मजबूत राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं का महत्त्वपूर्ण योगदान।

JOURNAL OF LEGAL STUDIES, POLITICS AND ECONOMICS RESEARCH